आमना बानो बनाम नवाब अली वगैरह (2023/334)

आदेश दिनांक :—19.12.2023

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 20.11.2023 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया ।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र स्थगन बाबत कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी महोदय, पीसांगन ने गैर कानूनी रूप से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर कोई न्यायोचित आदेश पारित नहीं किया । जिसकी आड में अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल करने एवं मौके व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाने पर आमादा है जिसमें यदि वह सफल हो गया तो प्रार्थीगण अपनी पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में निहित अपने हक व हिस्से से महरूम हो जायेंगे एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अप्रार्थी संख्या 01 को पाबंद किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजीयात को रहन, बय, मुंतकिल नहीं करे तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

सर्वप्रथम अपील को मियाद बिन्दु के संदर्भ में देखा गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2023 का बताया गया है और अपीलांट ने दिनांक 06.11.2023 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी है अतः अपील अंदर मियाद है।

वकील अपीलांट के आग्रह पर प्रार्थना पत्र स्थगन पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट के अनुसार प्रार्थी/अपीलांट द्वारा 88, 188 आर0टी0एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। मेरे पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में है। नवाब मेंरे पिता है जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 है। विवादित भूमिया पुश्तैनी भूमियां है जिसको अनावश्यक रूप से बेचान किया जा रहा है। दिनांक 17.07.2023 को वाद एवं प्रार्थना पत्र 212 प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। नवाब अली को दिनांक 18.10.2023 को उक्त प्रकरण की जानकारी हो चुकी थी उनके द्वारा वकील उपस्थित नहीं करवाया गया अपितु अंडरटेकिग दिलवाई गई। बेचान के बाद नामान्तकरण भी हुआ है। परिवार के मध्य विवाद होने पर भूमि को खुर्द बुर्द होने से बचाया जाये।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। विवादित भूमिय्रा ग्राम गोविंदगढ के खाता संख्या नया 207 , 205 में नवाब अली सह खातेदार के रूप में दर्ज रेकार्डेड खातेदार है। विवादित भूमिया नवाब अली द्वारा विक्रय किये जाने की बात एवं उसके बाद नामान्तकरण तस्दीक होने की बात भी वकील अपीलांट द्वारा बहस में बताई गई है।अपीलांट द्वारा भूमि को पुश्तैनी भूमि है बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करवायें है। प्रोसेंडिग अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम दिनांक 17.07.2023 से 18.10.2023 का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नवाब अली की ओर से अंडर टेकिंग दी गई है जवाब/बहस शेष है। बहस होने के बाद उपखण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा सम्यक रूप से प्रार्थना पत्र 212 पर निर्णय किया जाना है। इस स्टेज पर न्यायालय का यह मानना है अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश जारी किये जाने तक इंतजार किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि तुरंत जवाब/बहस के बाद पत्रावली का 3 सप्ताह में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

19.12.2023

राजस्व अपील अधिकारी

अजमेर